10 साइज का

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

बाबूलाल .... बनाम .... राजस्थान सरकार

.... सं0 .... 38 सन 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। मानापत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण से 1 लगा. 05 तामील द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ ना ही इनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप0 आया पत्रावली को एक माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है अतः अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/11/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
12/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17/12/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
17/12/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा सम्पुष्ट आधारों पर जुदागाना प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। भूमि काश्त खाता संख्या नया 129 पुराना 127 [signature]	

आधारों पर जुदागाना प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी गण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खसरा नं. 102/1029 रकबा 1.2[illegible] हैक्टे., कुल किता 01 कुल रकबा 1.26 हैक्टे. वाके रामा कोलवा पटवार हल्का कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है तथा खाता सं. नया 130 पुराना 12[illegible] खसरा नं. 102/1030 रकबा 3.1[illegible] हैक्टे., खसरा नं. 32 रकबा 0.6[illegible] हैक्टे., कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 हैक्टे. वाके रामा कोलवा पटवार हल्का कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं 01 लगायत 03 खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी और प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य भूमि के कम ज्यादा रकबे को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। अप्रार्थीयागण संख्या 01 लगायत 03 खूंखार किस्म के झगड़ालू प्रवृति के लोग है जो जबरन प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि पर अपने धनबल व बाहुबल से जबरन अवैध रूप से खाम व पुख्ता निर्माण कर व जबरिया कब्जा करने के लिए प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।
	[signature]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित तीन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है - 1) प्रथम दृष्टया मामला 2) सुविधा का संतुलन 3) अपूर्णीय क्षति 1) प्रथम दृष्टया मामला :- वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में तकासमा का वाद किया गया है, मूल दावे के निस्तारण होने से पूर्व वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बिगड़ने की संभावना होती है, इसलिए प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। 2) सुविधा का संतुलन व 3) अपूर्णीय क्षति सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से उक्त दोनों बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः ग्राम कोलवा के खाता संख्या नया 129 पुराना 127 के खसरा नं 102/1029 रकबा 1.26 हैक्टे., खाता सं. नया 130, पुराना 128, खसरा नं. 102/1030 रकबा 3.18 हैक्टे, खसरा नं. 32 रकबा 0.61 हैक्टे.; कुल किता 02, कुल रकबा 3.79 हैक्टें, मे मूल वाद मुकदमा न. 114/2025 के निर्णय होने तक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूलवाद के शामिल हो। [signature] 17/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

[signature] 13.6.25

न्यायालय उपजिला क

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण
2. सुखराम पुत्र लक्ष्मण
3. हरकेश पुत्र लक्ष्मण
4. प्रेमदेवी पत्नी लक्ष्मण

समस्त जाति मीना निवासी

राजस्थान।

ब

1. सत्यनारायण पुत्र शंकर
2. रामवीर पुत्र शंकर
3. नानगा पुत्र रामसहाय

समस्त जाति मीना निवासी

राजस्थान।

4. भारतीय स्टेट बैंक जरिए

बांदीकुई जिला दौसा।

5. राजस्थान सरकार (लैण्ड हो

बांदीकुई जिला दौसा।

Scanned with OKEN Scanner